

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य
मध्य प्रदेश

Mail: scholarship.ctd@mp.gov.in

क्रमांक/पीएमएस/180/2021/ 3425

भोपाल, दिनांक 22/2/22

प्रति,

समस्त सहायक आयुक्त / जिला संयोजक
जनजातीय कार्य विभाग,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- MPTAASC पोर्टल पर वर्ष 2018-19 से वर्तमान तक एप्लाइ करने की अतिरिक्त
सुविधा को समाप्त किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पीएमएस/180/2021-22/1100 दिनांक 19/01/2022

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए । MPTAASC पोर्टल के PMS Module अंतर्गत पूर्व वर्षों में अनुत्तीर्ण या ATKT विद्यार्थियों को नियमानुसार आवेदन किये जाने की सुविधा जिला अधिकारी के लॉग इन पर उपलब्ध कराई गई थी । जिला अधिकारियों द्वारा इस सुविधा का उपयोग किया जाकर शत प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका होगा । अतः दिनांक 25 फरवरी 2022 सायः 06 बजे के पश्चात आगामी निर्देश तक यह सुविधा समाप्त की जा रही है । इसलिए जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें । अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित होने पर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी । कृपया निर्धारित समय के पूर्व समस्त प्रकरणों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

(संजीव सिंह)

आयुक्त

जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22/2/22

पृ. क्रमांक/पीएमएस/180/2021-22/ 3426

प्रतिलिपि:-

- 1) समस्त कलेक्टर, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश
- 2) समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश
- 3) सहायक संचालक, आई.टी.सेल मुख्यालय भोपाल की ओर दिनांक 25 फरवरी 2022 सायः 06 बजे के पश्चात आगामी निर्देश तक यह सुविधा समाप्त करने हेतु प्रेषित ।

आयुक्त

जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश